न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.15 / अपील / 2025 (GCMS No. 2025 / 41)	21.04.2025	15.12.2025

रमेश आ. गेन्दा जाति ऐअरवाल, निवासी ग्राम पायली,
तहसील सुसनेर, जिला शांजापुर, मध्यप्रदेश
हाल निवासी ग्राम लीलेडा चारणान, तहसील व जिला बून्दी।

– अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र बाबूलाल जाति कालबेलिया,
   निवासी आकोलिया, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
2. बजरंगलाल पुत्र बाबूलाल जाति कालबेलिया,
   निवासी आकोलिया, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
3. श्रीमती संकरी बाई पत्नी स्व.सोहनलाल जाति कालबेलिया,
   निवासी थर्मल कोलोनी, करणीनगर, कोटा (राज.)
4. श्रवणलाल पुत्र स्व.सोहनलाल जाति कालबेलिया,
   निवासी थर्मल कोलोनी, करणीनगर, कोटा (राज.)
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री पूरण कुमार बैरागी, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 4 की ओर से श्री श्याम नागर, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 1512 दिनांक 18.09.2024 ग्राम अकतासा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण गैर खातेदार बाबूलाल पुत्र अमरनाथ के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 15/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/41 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम अकतासा, तहसील तालेडा में कृषि भूमि खाता संख्या नया 391 पुराना 344 की खसरा नं.1 रकबा 0.9551 हैक्टेयर स्थित है। उक्त कृषि भूमि सोहनलाल, बाबूलाल पिस. अमरलाल के गैर खातेदारी में अंकित थी। उक्त भूमि को अपने घरेलू कार्यो हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से बाबूलाल ने उक्त आराजी में से अपने हिस्से 1/2 की भूमि में से 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि का 1,95,000/– अक्षरे रूपये एक लाख पिचानवे हजार प्राप्त करके दिनांक 10.12.2011 को ही कब्जा संभला दिया था तथा बेचान विषयक आराजी को गैर खातेदारी से खातेदारी अंकित करवाकर बेचान पत्र की नियमानुसार रजिस्ट्री करने की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। इसके साथ ही उक्त आराजी पर स्वर्गीय सोहनलाल या स्वर्गीय बाबूलाल का कभी भी कब्जा या अधिकार नहीं रहा है और न ही उक्त कृषि भूमि पर रेस्पो. सं.1 लगायत 4 का कभी भी कब्जा रहा है। उक्त आराजी का राजस्व कर रेस्पो. सं.1 लगायत 4 द्वारा नहीं दिया जाकर अपीलांट द्वारा दिया जा रहा है। उक्त गैर खातेदार सोहनलाल एवं बाबूलाल की मृत्यु हो गई है जिसकी जानकारी अपीलांट को आज से पूर्व कभी भी नहीं थी। तहसीलदार तालेडा द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत या किसी स्वतंत्र स्थानीय निकाय से रेस्पोडेंटस के बारे में कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई और न ही मजमा–ए–आम में जांच की गई तथा बिना किसी आधार के उक्त आराजी बाबत नामान्तरकरण सं. 1512 दिनांक 18.09.2024 खोला जाकर स्वीकार किया गया, जिससे उक्त आराजी पर बाबूलाल के हिस्से 1/2 पर रेस्पो.कम सं. 1, 2 का नाम अंकित कर दिया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान आगे तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पो.सं.4 द्वारा दिनांक 18.12.23 को रेस्पो.सं.5 को स्व.बाबूलाल को लाऔलाद फौत होना बताकर उसका नाम विलोपित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 1465 दिनांक 14.03.24 को निरस्त किया गया है। उसके पश्चात् नामान्तरकरण सं. 1499 प्रस्तुत हुआ जो उन्ही पक्षकारो की आराजी है जो दिनांक 16.07.2024 को निरस्त किया गया है, उक्त आधारों पर अपील विषयक इन्तकाल सं. 1512 दिनांक 18.09.2024 भी निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण सं. 1465 को निरस्त किये जाने बाबत कोई अपील नहीं की गई। किसी भी न्यायालय द्वारा कोई आदेश या डिक्री पारित नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब एक बार नामान्तरण अस्वीकृत कर दिया जावे, तो यह उचित नहीं है कि कुछ ही दिनों या महिनों बाद उसी भूमि तथा उन्ही पक्षकारों को प्रभावित करने वाला पहले से विपरीत आदेश नामान्तरकरण पदाधिकारी द्वारा दे दिया गया। रेवेन्यू बोर्ड ने निर्णय दिया है कि जब किसी पदाधिकारी ने कानून द्वारा उस पर आरोपित शक्तियों का प्रयोग कर लिया तो उसे अधिकार नहीं है कि वह उस सवाल को पुनः तय करे। एक नामान्तरकरण आदेश अपील की मियाद बीत जाने के बाद अंतिम रहेगा और वह नजरसानी या दीवानी न्यायालय के आदेश या डिक्री द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकेगा। अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 04.04.2025 को हुई, इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया। जानकारी होने के पश्चात अपीलांट द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर नकलें प्राप्त की जाकर यह अपील पेश की गई। न्यायहित में देरी कन्डोन किये जाने एवं अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट का नामान्तरकरण विषयक आराजी पर कभी भी कोई अधिकार नहीं रहा है। इसलिए इस मामले में अपीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्ध अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसप्रकार अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं होने से यह अपील चलने योग्य नहीं है। उक्त आराजी वर्तमान में रेस्पोडेंटस की खातेदारी की भूमि है। यदि अपीलांट उक्त आराजी पर अपना हक अधिकार मानता है तो उसे सक्षम न्यायालय में अधिकार घोषणा का दावा लाना चाहिए। यदि अपीलांट के पास उक्त आराजी बाबत किसी प्रकार का इकरारनामा है तो उसे सिविल न्यायालय में स्पेशिफिक प्रफोर्मेन्स का दावा करना चाहिए। अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई कानूनी नुक्स नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 4 द्वारा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 18.09.2024 की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 04.04.25 को अपील पेश किया जाना प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र में अंकित है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम अकतासा की आराजी खसरा संख्या 1 रकबा 0.9551 हैक्टेयर भूमि का गैर खातेदार बाबूलाल पुत्र अमरनाथ जाति कालबेलिया हिस्सा 1/2 था। गैर खातेदार बाबूलाल के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1512 दिनांक 18.09.2022 तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने अपील में गैर खातेदार द्वारा उक्त आराजी को इकरारनामा के आधार पर अपीलांट को बेचान कर दिया जाना अंकित किया है। इकरारनामा के लिए अपीलांट को सिविल न्यायालय में स्पेशिफिक प्रफोर्मेन्स का दावा पेश करना चाहिए था। उक्त आराजी पर इनरजिस्टर्ड दस्तावेज से अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है, वैसे भी गैर खातेदारी के दौरान भूमि का बेचान नियमानुसार नहीं है। वर्तमान में उक्त आराजी रेस्पोडेंट सं. 1 लगायत 4 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। यदि अपीलांट उक्त खातेदारी भूमि पर अपना हक अधिकार मानता है तो उसे सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश करना चाहिए।

जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1512 का प्रश्न है तो उक्त नामान्तरकरण विरासत के आधार पर मृतक गैर खातेदार के स्थान पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा रेस्पो.सं. 1 व 2 के मृतक गैर खातेदार बाबूलाल के वारिस होने के संबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। ऐसे में इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी